27

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

PF (SL 2125, ACF)

AG 18/08

पत्रांक:- 647 दिनांकः- 17/8/07

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

18/8

विषय :– मेसर्स इल्केट्रोस्टील कस्टिंग लिमिटेड के द्वारा कोदलीबाद आरक्षित वन क्षेत्र (Reserve Forest) में प्रस्तावित दिरसुमबुरू लौह एवं मैगनीज अयस्क खनन पट्टा में से 55.790 हे. वन भूमि का अपोजन प्रस्ताव ।

प्रसंग :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर का पत्र संख्या 1570 दिनांक 26.07.07.

20/8/07

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति सभी अनुलग्नकों के साथ संलग्न की जाती है ।

सर्वश्री इल्केट्रोस्टील कस्टिंग लिमिटेड के पक्ष में कोदलीबाद आरक्षित वन क्षेत्र में 192.50 हे. लीज स्वीकृति की अनुशंसा के आलोक मे जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने अपने कार्यालय पत्रांक 2369 एम. दिनांक 27.10.2006 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया (प्रस्ताव का अनु0–22) । इसी निदेश के क्रम में वर्तमान में सर्वश्री इल्केट्रोस्टील कस्टिंग लिमिटेड के द्वारा कोदलीबाद आरक्षित वन क्षेत्र में 55.790 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है ।

प्राप्त प्रस्ताव कोदलीबाद कंपार्टमेन्ट संख्या 1 से 5 के अंश भागो में स्थित है ।

प्रस्ताव से संबंधित वस्तु स्थिति निम्नवत है :–

1. विषयोक्त प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में है ।

2. प्रस्ताव के प्रपत्र भाग– I में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचनाएँ अंकित की गई है, जबकि प्रपत्र भाग–II, III एवं III "ए" में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल, वन संरक्षक, दक्षिणी अंचल, चाईबासा एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम द्वारा सूचनाएँ अंकित की गई है ।

3. प्रस्ताव के साथ इण्डियन ब्यूरों ऑफ माईन्स को समर्पित माईनिंग प्लान का पत्र, फेज रिक्लेमेशन एवं वनरोपण प्लान, सेफ्टीजोन मैप, लागत लाभ विशलेषण, जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा आवेदित क्षेत्र का खनिज क्षेत्र होने की पुष्टि प्रमाण पत्र, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि एवं वनरोपण की योजना, वन्य प्राणी संरक्षण एव विकास योजना, अग्नि सुरक्षा योजना जल संरक्षण योजना, इत्यादि सलग्न समर्पित है ।

झारखण्ड सरकार
21 AUG 2007
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड
5729

4. प्रस्ताव के साथ मूल टोपोशीट (1:50,000) में प्रस्तावित वनभूमि का लोकेशन मैप तथा अपयोजन मैप, सेफ्टीजोन मैप, रिक्लेमेशन एवं इको रिक्लेमेशन मैप, पर्यावरणीय मैप, भू–गर्भीय मैप एवं लीज सीमांकन मैप संलग्न है ।

5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पलामू जिला अन्तर्गत बीरबीर गांव में 44.64 हे. तथा गढ़वा जिला अन्तर्गत 45.30 हे. कुल 91.76 हे. रैयती भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश की है ।

पलामू एवं गढ़वा जिला में प्रस्तावित गैर वनभूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु योग्यता प्रमाण पत्र क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, डाल्टनगंज उत्तरी वन प्रमंडल एवं गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त है । गैर वनभूमि से संबंधित अभिलेख प्रस्ताव के अनुलग्नक 15 पर उपलब्ध है ।

6. प्रयोक्ता एजेन्सी के सरकार के साथ उद्योग लगाने संबंधी किये गये एम0ओ0यू0 (Memorandum of undertaking) की प्रति एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित ई0आई0ए0 की प्रति एवं पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 09.03.2007 को सम्पादित लोक सुनवाई की कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है । साथ झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद द्वारा जल(Prevention & Control of pollution) तथा वायु (Prevention & can control of pollution) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है । परियोजना सें संबंधित जन सुनवाई की कार्यवाही की प्रति भी प्रस्ताव के साथ अनु0–18 पर उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत पर्यावर्णिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी । वर्तमान में यह स्वीकृति अप्राप्त है ।

7. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, ने सूचित किया है कि प्रस्तावित स्थल पर उपलब्ध वृक्षों की गणना सूची स्टेज–। स्वीकृति के पश्चात तैयार की जायेगी । इस संबंध में भारत सरकार का निदेश प्राप्त है कि 10 हे. से अधिक अपयोजित होने वाले क्षेत्रों के लिये sample के आधार पर गणना सूची तैयार की जाय । तदनुसार क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम से अनुरोध किया जा रहा है ।

8. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा समर्पित अपयोजन प्रस्ताव 55.790 हे. में उपयोग हेतु ब्यौरा निम्नवत प्रस्तुत किया गया है :–

i) प्रस्तावित लीज क्षेत्र 192.50 हे. के अन्दर

(क) खनन एवं अन्य	–	41.350 हे.
(ख) मोबाईल क्रशर शेड, स्क्रीन प्लांट आदि	–	0.400 हे.
(ग) सेकेण्डरी क्रशिंग स्क्रीनिंग एवं अस्थाई जमाव आदि	–	2.000 हे.
(घ) कार्यालय, वे ब्रीज वर्कशेप कैटिंग लेबल शेड, गंडिकल आदि	–	1.940 हे.
(ड़) रोड एवं कन्वेयर बेल्ट	–	4.550 हे.
(च) कन्वेयर बेल्ट उपकरण के अतिरिक्त	–	0.338 हे.
(छ) चेक पीट और ड्रेन	–	0.400 हे.
कुल	–	50.978 हे.
ii) प्रस्तावित लीज क्षेत्र के बाहर लौह अयस्क का परिवहन हेतु	–	4.810 हे.
कुल अपयोजन हेतु	–	55.788 हे.
		या
		55.790 हे.

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के साथ बचनबद्धता समर्पित किया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत अपयोजन स्वीकृत्यादेश के सभी शर्तो का अनुपालन विभाग के द्वारा मॉग पत्र के अनुरूप लिया जायेगा ।

10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि गज आरक्ष के कोर क्षेत्र में स्थित है । अतः इस प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण जैव विविधता एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक से मंतव्य की मांग की गई थी । उनका मंतव्य कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जैव विविधता एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के पत्रांक 1004 दिनांक 09.08.2007 (छायाप्रति संलग्न – अनु0–क) द्वारा प्राप्त है । मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक ने निम्नकारणों से वनभूमि के अपयोजन की अनुशंसा नही की है :–

(क) यह हाथियों के विचरण मार्गो को प्रभावित करेगा ।
(ख) सारंडा वन प्रमंडल में यह प्रस्तावित स्थल नये वन क्षेत्र में खनन को खोलेगा जिससे कि वन्य प्राणियों के वास का अवक्रमण होगा ।
(ग) प्रस्तावित स्थल कोइन नदी के उदगम के पास स्थित है ।
(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11–28/2002 एफ.सी. दिनांक 16.06.2006 में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में इस क्षेत्र में खनन की अनुमति नही दी जा सकती है ।

विस्तृत प्रतिवेदन अनु0–क का अवलोकन करने की कृपा करें ।

11. आपके कार्यालय पत्रांक 19 एम.–1(5)19/2003 – 642 दिनांक 14.02.2006 द्वारा सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया है जिसमें उल्लेख हे कि सारंडा / कोल्हान एवं पोड़ाहाट वन प्रमंडलों के अक्षुण्ण एवं आरक्षित वन क्षेत्रों को inviolate घोषित करने के लिये सरकार आदेश देना चाहेगी । इस पत्र के अनु0– 3A में सारण्डा वन प्रमंडल के अक्षुण्ण कंपार्टमेन्टस का उल्लेख है और इस सूची में कोदलीबाद कम्पार्टमेन्ट 1 से 5 तक का उल्लेख है । प्रस्तावित क्षेत्र इन्ही कम्पार्टमेन्टों में स्थित है ।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम ने अपने प्रसंगिक पत्र द्वारा सूचित किया है कि इस क्षेत्र को केन्द्र बिन्दु मानने से सारण्डा वन प्रमंडल में विभिन्न पूर्व से कार्यरत अन्य खदानों की दूरी निम्नवत है :–

i)	उत्तर	–	मनोहरपुर अयस्क खान	– 6.50 कि.मी. लगभग
ii)	पूर्व	–	गुआ अयस्क खान	– 8.00 कि.मी. लगभग
iii)	दक्षिण	–	किरीबुरू माइन्स	– 9.00 कि.मी. लगभग

स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में खनन की अनुमति देने से काफी बडे क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो वन्य प्राणीयों के संरक्षण के अनुकूल नहीं होगी ।

12. कंडिका 10 एवं 11 के आलोक में वनभूमि के अपयोजन की अनुशंसा नही की जाती है ।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अपना मंतव्य देते हुये राज्य सरकार को आवश्यक निर्णय लेने हेतु अग्रतर कार्रवाही करने की कृपा करें ।

अनु0–अनु0–"क" एवं
प्रस्ताव 4 प्रतियों में ।

विश्वासभाजन

17/8/07

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रॉची ।